भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2739
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः कृषि ऋण भार
2739. श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) भारतीय किसानों पर, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में किसानों पर, कुल अनुमानित कृषि ऋण भार कितना है;
(ख) क्या सरकार द्वारा हाल ही में किसानों के ऋणग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने और ऋण राशि के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन कराया गया है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) क्या संकटग्रस्त किसानों को तदर्थ ऋण माफी के अतिरिक्त वास्तविक ऋण राहत प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) कृषि ऋणों के लिए लागू ब्याज अनुदान योजनाएँ किस हद तक प्रभावी हैं;
(ङ) क्या इन योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पर्याप्त रूप से पहुँच रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या इनके दुरुपयोग या अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और
(छ) किसानों को ऋण मुक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018-जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया गया। एसएएस के अनुसार, ऋण विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिया गया था, जिसमें कृषि व्यवसाय में पूंजीगत व्यय, कृषि व्यवसाय में राजस्व व्यय, गैर-कृषि व्यवसाय, आवास, विवाह और समारोह, शिक्षा और चिकित्सा, अन्य उपभोग व्यय आदि शामिल हैं। कृषि वर्ष जुलाई, 2018 - जून, 2019 के दौरान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि **अनुबंध-I** में दी गई है।
(ग) से (ड.): सरकार, पूरे भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य, किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। केसीसी-एमआईएसएस योजना के कारण किसानों को अपनी प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसान और किफायती ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में सक्रिय केसीसी खातों की संख्या 7.72 करोड़ तक पहुंच गई है, जिससे ऋण राशि वर्ष 2013-14 के 14.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 10.20 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

एमआईएसएस के अंतर्गत, किसानों को ब्याज सहायता के लिए बजट आवंटन वर्ष 2014-15 के 6,000 करोड़ रुपये से 3.7 गुना बढ़कर वर्ष 2024-25 में 22,600 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले ग्यारह वर्षों में, किसानों को केसीसी के माध्यम से ऋणों पर ब्याज सहायता के रूप में 1.62 लाख करोड़ रुपये का लाभ मिला है।

इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में कुल ऋण प्रवाह वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से लगभग चार गुना बढ़कर वर्ष 2024-25 में 28.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जिसमें से, इस अवधि के दौरान, छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को वितरित ऋण बढ़कर 14.35 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

केसीसी-एमआईएसएस के अलावा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) भी किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अप्रत्याशित घटनाओं से फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करती है। ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से ये योजनाएँ उधार लेने की लागत को कम करने, समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने और बेहतर ऋण अनुशासन को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। ये योजनाएँ अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता को भी कम करती हैं और बुआई और फसल कटाई जैसी महत्वपूर्ण अवधि के दौरान अल्पकालिक ऋण अंतराल को कम करने में मदद करती हैं।

(च): एमआईएसएस के प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा सितंबर 2023 में किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) नामक एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल एमआईएसएस से संबंधित दावों के शीघ्र निपटान की सुविधा प्रदान करता है और चिह्नित लाभार्थियों को ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने में मदद करता है। इससे संबंधित दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी लाभार्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण और सत्यापन किया जाता है।

(छ): भारत सरकार किसानों के कल्याण को बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभदायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये (बी.इ.) से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के दौरान 1,27,290.16 करोड़ रुपये (बी.इ.) कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा किसानों के उत्पादन में वृद्धि, किसानों को लाभकारी प्रतिफल और आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम, किसानों के कल्याण के लिए हैं। ये योजनाएं ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलों, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल करती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिफल के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

अनुबंध –I

'कृषि ऋण भार' के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 05/08/2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में उललिखित विवरण।

क्रं सं.	**राज्य/पूर्वोत्तर राज्यों का समूह/संघ राज्य क्षेत्रों का समूह**	**प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपये)**
1.	आंध्र प्रदेश	2,45,554
2.	अरुणाचल प्रदेश	3,581
3.	असम	16,407
4.	बिहार	23,534
5.	छत्तीसगढ	21,443
6.	गुजरात	56,568
7.	हरियाणा	1,82,922
8.	हिमाचल प्रदेश	85,825
9.	जम्मू एवं कश्मीर	30,435
10.	झारखंड	8,415
11.	कर्नाटक	1,26,240
12.	केरल	2,42,482
13.	मध्य प्रदेश	74,420
14.	महाराष्ट्र	82,085
15.	मणिपुर	5,551
16.	मेघालय	2,237
17.	मिजोरम	23,485
18.	नागालैंड	1,750
19.	ओडिशा	32,721
20.	पंजाब	2,03,249
21.	राजस्थान	1,13,865
22.	सिक्किम	32,185
23.	तमिलनाडु	1,06,553
24.	तेलंगाना	1,52,113
25.	त्रिपुरा	23,944
26.	उत्तराखंड	48,338
27.	उत्तर प्रदेश	51,107
28.	पश्चिम बंगाल	26,452
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**10,034**
	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	**25,629**
	अखिल भारत	**74,121**

***स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या* 587: *ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि एवं पशुधन जोत की स्थिति का आकलन*, 2019**

अनुबंध II

'कृषि ऋण भार' के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 05/08/2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 के भाग (छ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित विवरण।

उत्पादन बढ़ाने, किसानों को लाभकारी प्रतिफल और आय सहायता प्रदान करने के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑइल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बाँस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
17. समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
21. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
23. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
25. नमो ड्रोन दीदी
26. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
27. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
28. डिजिटल कृषि मिशन

*****